



70291 - कुर्बानी किस पर अनिवार्य है ? और क्या कुर्बानी के लिए पुरुष होना शर्त है ?

प्रश्न

कुर्बानी किस पर अनिवार्य है ? क्या घर की मालिकन (गृहिणी) जो पेंशन पाती है, उसके लिए कुर्बानी करना जायज़ है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुर्बानी के हुक्म के बारे में उलमा का इख्तिलाफ (मतभेद) है कि: क्या यह वाजिब (अनिवार्य) है जिसका छोड़ने वाला पापी होगा ? या सुन्नते मुअक्कदा है कि जिस का छोड़ना मकरूह है ?

सही बात यह है कि कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है। इसका वर्णन प्रश्न संख्या (36432) में हो चुका है।

कुर्बानी के अनिवार्य या मस्नून होने के लिए : कुर्बानी करने वाले का धनवान होना शर्त है, इस तौर पर कि कुर्बानी की कीमत स्वयं उसकी क़िफ़ायत (पर्याप्तता) और जिन पर वह खर्च करता है उनकी पर्याप्तता से फ़ालतू (ज़रूरत से ज़्यादा) हो। अतः अगर किसी मुसलमान के पास मासिक वेतन या पेंशन है, और यह वेतन उसके लिए काफी है, और उसके पास कुर्बानी की कीमत है, तो उसके हक़ में कुर्बानी करना धर्मसंगत है।

धनवान होने की शर्त लगाने की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है : “जिस व्यक्ति के पास (कुर्बानी करने की) क्षमता (सामर्थ्य) है और वह कुर्बानी न करे तो वह हमारी ईदगाह के क़रीब न आए।” इसे इब्ने माजा (हदीस संख्या: 3123) ने रिवायत किया है और शैख अल्बानी ने उसे “सहीह इब्ने माजा” में इसे सहीह क़रार दिया है।

कुर्बानी समूचे परिवार के लिए धर्म संगत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के आधार पर : “बेशक हर घर वाले (परिवार) पर हर वर्ष कुर्बानी है।” इसे अहमद (हदीस संख्या: 20207) ने रिवायत किया है, और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने “फ़तहुल बारी” में कहा है कि इसकी सनद मज़बूत है। और शैख अल्बानी ने सहीह सुनन अबू दाऊद (हदीस संख्या: 2788) में इसे हसन क़रार दिया है।

इस विषय में पुरुष और महिला के मध्य कोई अंतर नहीं है। यदि कोई महिला अकेले या अपने बच्चों के साथ रह रही है, तो उन पर कुर्बानी है।



अल-मौसूअतुल फिक्रहय्या (5/81)में आया है :

“पुरुष होना, कुर्बानी के अनिवार्य या सुन्नत होने की शर्तों में से नहीं है। अतः जिस तरह पुरुषों पर कुर्बानी अनिवार्य है उसी तरह महिलाओं पर भी कुर्बानी अनिवार्य है। क्योंकि अनिवार्य या मस्नून होने की दलीलें सब को शामिल हैं।” संक्षेप के साथ संपन्न हुआ।

(देखिए : “अल-मौसूअतुल फिक्रहय्या” (5/79-81)

और अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।